



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 10 नि0 (किराया) 03/2024.....

दिनांक-/2025

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :- प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, टनकुप्पा, गया का मकान किराया दिनांक-16.12.2023 के प्रभाव से अगले आदेश तक रू0 3100 (तीन हजार एक सौ) मात्र प्रतिमाह की दर से भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

2. जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
3. व्यय का विकलन वजट मुख्य शीर्ष-2403 पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष -101, पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग सं0- 02 उपशीर्ष-0003 अस्पताल एवं औषधालय और अन्य स्थापना विपत्र कोड 02-2403001010003 ईकाई-1401 के अन्तर्गत किराया, महसूल एवं कर के अन्तर्गत बजट में उपबंधित/आवंटित राशि से होगी।
4. वित्त विभाग के संकल्प सं0-678/ (वि0), दिनांक-04.02.1988 के आलोक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राशि की निकासी के पूर्व कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र विपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
5. यह स्वीकृति आदेश विभागीय पत्रांक-3419 दिनांक- 19.08.2010 के द्वारा निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को किराया मद स्वीकृति हेतु प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निर्गत है।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक :- 10 नि0 (किराया) 03/2024-..... 187 (न) पटना-15, दिनांक-..... 14/01/..... 2025

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (सभी संबंधितों को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री उपेन्द्र प्रसाद, पिता-कृष्ण प्रसाद, ग्राम+पो0+अंचल+थाना-टनकुप्पा, जिला-गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी-08 पशुपालन निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।